

राजस्थान के नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

चर्चा में क्यों?

19 जनवरी, 2022 को केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति शिदि संभाजी शिवाजी की राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार ने नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सफारिश के एक महीने के भीतर मंजूरी दी गई है।
- गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
- वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। हालाँकि, न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से शुरू किया जाता है।